

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 267

जिसका उत्तर बुधवार, 27 नवंबर, 2024 को दिया जाएगा

तूर और उड़द की कीमतें

267. श्री बी. मणिकक्षम टैगोर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन महीनों के दौरान मंडी की कीमतों में आई दस प्रतिशत की गिरावट को ध्यान में रखते हुए तूर और उड़द की कीमतों को विनियमित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (ख) मंडी के मूल्य में गिरावट के अनुरूप तूर और उड़द के खुदरा मूल्यों में कमी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ग) क्या पूर्वी अफ्रीकी देशों और म्यांमार से तूर और उड़द के आयात का घेरलू कीमतों पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो भावी आयातों के लिए सरकार की कार्यनीति क्या है;
- (घ) क्या सरकार द्वारा खरीफ दलहनों के बुआई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पहल की गई है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ङ) खरीफ दलहनों की वर्तमान फसल स्थिति और मूल्यों पर इसके संभावित प्रभाव का व्यौरा और अद्यतन स्थिति क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख) पिछले 3 महीनों में मंडी कीमतों में गिरावट के साथ तूर और उड़द की खुदरा कीमतों में गिरावट आई है अथवा स्थिर रही हैं। उपभोक्ता मामले विभाग मंडी में रुझानों और दालों की खुदरा कीमतों पर विचार-विमर्श करने के लिए खुदरा विक्रेता संघ (आरएआई) और संगठित खुदरा शृंखलाओं के साथ नियमित बैठकें करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खुदरा विक्रेता खुदरा मार्जिन को उचित स्तर पर बनाए रखते हैं। खुदरा बाजार में सीधे हस्तक्षेप करने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को भारत दाल ब्रांड के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर खुदरा बिक्री के लिए दालों में बदल दिया है। इसी प्रकार, भारत ब्रांड के तहत आटा और चावल खुदरा उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर वितरित किए जाते हैं। बफर से प्याज को थोक बाजारों और खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता केंद्रों में अंशांकित और लक्षित कीमतों पर जारी किया जाता है। प्रमुख उपभोग केंद्रों में स्थिर खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज वितरित किया जाता है। इन उपायों से दाल, चावल आटा और प्याज जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं को उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने और कीमतों को स्थिर करने में मदद मिली है।

(ग) घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए दालों के सुचारू और निर्बाध आयात को सुनिश्चित करने हेतु , तूर और उड़द के आयात को 31.03.2025 तक 'मुक्त श्रेणी' के तहत रखा गया है और मसूर के आयात पर 31.03.2025 तक शून्य शुल्क है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने घरेलू बाजार में दालों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 31.03.2025 तक देसी चना के शुल्क मुक्त आयात की भी अनुमति दी है। तूर, उड़द और मसूर की स्थिर आयात नीति व्यवस्था आयात के निरंतर प्रवाह के कारण देश में तूर और उड़द की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में प्रभावी रही है जिससे दालों की उपलब्धता बनी रही और कीमतों में असामान्य वृद्धि पर अंकुश लगा।

(घ) उपभोक्ता मामले विभाग ने किसानों के जागरूकता अभियान, आउटरीच कार्यक्रम, बीज वितरण आदि के लिए एनसीसीएफ और नैफेड को सहायता प्रदान की हैं। सरकार ने नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और पीएम-आशा योजना के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) घटकों के तहत तूर और उड़द की सुनिश्चित खरीद के लिए किसानों का पूर्व-पंजीकरण लागू किया है। 22.11.2024 तक एनसीसीएफ और नैफेड द्वारा कुल 10.66 लाख किसानों को पंजीकृत किया गया है।

(ड.) खरीफ फसलों की स्थिति अच्छी है और मूंग, उड़द जैसी अल्प अवधि की फसलों की कटाई पूरी हो चुकी है, जबकि तूर की फसल की कटाई अभी शुरू हुई है। मौसम भी फसल के लिए अनुकूल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं तक आपूर्ति श्रृंखला में अच्छा प्रवाह बना रहा है, जिससे दालों की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है।
